

44/2019  
07/11/19

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक / कोर्ट / 2019 / 44

दिनांक...07/11/2019

—: निर्णय :-

तहसीलदार चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वन टू वन मैपिंग का कार्य सम्पादित करने के लिये ग्राम कुनसीसर पटवार मण्डल बालरासर आथुणा तहसील चूरु जिला चूरु की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 70 में खसरा नम्बर 193/390 के स्थान पर 146/390 शुद्ध किया जाना उचित होगा। भू.अ. निरीक्षक पीथीसर तथा हल्का पटवारी बालरासर आथुणा द्वारा अपनी रिपोर्ट में खाता संख्या 70 में खसरा नम्बर 193/390 के स्थान पर 146/390 शुद्ध किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार चूरु ने भी खाता संख्या 70 में खसरा नम्बर 193/390 के स्थान पर 146/390 शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

अतः पटवारी हल्का कोटवादताल, भू.अ. निरीक्षक खींवासर तथा तहसीलदार चूरु की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अंतर्गत ग्राम कुनसीसर पटवार मण्डल बालरासर आथुणा तहसील चूरु जिला चूरु की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 70 में खसरा नम्बर 193/390 के स्थान पर 146/390 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



21  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु